Principal District & Sessions Court, Durg (C.G.)

Annual Report 2026

"Path to Excellence"

Annual Report Compilation Committee

Chairman
Shri Sheikh Ashraf
I District & Additional Sessions Judge, Durg /
Office OIC

Member
Shri Prashant Parasar
II District & Additional Sessions Judge, Durg

Member
Shri Awadh Kishore
District & Additional Sessions Judge (FTC),
Durg / President Infrastructure Committee

Member
Smt. Sushma Lakra
Chairman,
Permanant Lok Adalat, Durg (C.G.)

Member
Shri Umesh Kumar Bhagwatkar
Secretary, DLSA, Durg (C.G.)

Technical Support
Nidhi Dua
Senior Court Manager, Durg (C.G.)

Contact Information of District Court Durg

Office of the District and Sessions Judge,
Near Patel Chowk,Durg (C.G.) PIN – 491001
Phone 0788 2210307

durg.court@gov.in **Website: https://durg.dcourts.gov.in/**

This Annual Report presents a comprehensive reflection of the initiatives, achievements, administrative developments, and judicial progress undertaken at District Court Durg during the year 2025–2026. Guided by a vision of accessible, efficient, and people-centric justice, the institution has continuously worked towards strengthening judicial administration through innovation, transparency, infrastructure development, legal awareness activities, mediation initiatives, and institutional reforms.

The report encapsulates the collective efforts, dedication, and commitment of the judicial officers, court staff, legal services institutions, and all stakeholders who contributed towards enhancing the efficacy of justice delivery. It stands not merely as a record of accomplishments, but as a testament to the institution's continuous pursuit of excellence, progressive thinking, and service to society.

Infrastructure Development

At Durg District

Residencial Accomodation for the Principal District Judge

After getting the permission to demolish the existing government residence **No. E-3**, of Principal District Judge in its place, a new **Type B** government residence is being constructed using previously obtained allocations. The *Bhumi Pujan* (groundbreaking ceremony) was performed on **December 16, 2025**, by the Hon'ble Chief Justice and the Hon'ble Portfolio Judge. Construction work has officially commenced.

नवभारत छत्तीसगढ़ • ओडिशा

Bhilai City - 17 Dec 2025 - 17bh2
epaper.navabharat.news

आवासीय क्वार्टरों का वर्चुअल भूमिपूजन, पुस्तक विमोचन एवं "न्याय मित्र" ऐप का शुभारंभ

नवभारत रिपोर्टर । दुर्ग।

जिला में न्यायिक अवसंरचना एवं वैकल्पिक विवाद समाधान को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के आवासीय क्वार्टर के निर्माण हेतु वर्चुअल माध्यम से भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही, इस कार्यक्रम में समाधान और सद्भाव की यात्रा 90 दिवसीय मीडिएशन ड्राइव विषयक पुस्तक का विमोचन तथा न्यायिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल एवं सुलभ रूप से पहुँचाने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया।

उक्त कार्यक्रम न्यायाधिपति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया। न्यायाधिपति संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा न्यायाधिपति पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एवं पोर्टफोलियो जज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की वर्चुअल उपस्थिति रही।

उन्होंने न्याय मित्र मोबाइल एप्लिकेशन के शुभारंभ को आम नागरिकों के लिए न्याय तक सरल, त्वरित एवं सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह एप्लिकेशन विधिक जानकारी, सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान कर डिजिटल माध्यम से न्यायिक सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने में सहायक होगा। अंत में मुख्य न्यायाधिपति ने सभी संबंधित विभागों, न्यायिक अधिकारियों, विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों को इस सफल एवं बहुआयामी कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की पहलें छत्तीसगढ़ की न्याय प्रणाली को और अधिक सशक्त, संवेदनशील एवं जनोन्मुखी बनाएंगी।

Residencial Accomodation for Judicial Employees

For the Judicial employees of the Durg district there are currently **68 government residential units** under construction in Junwani. **Proposed Expansion**: An estimate for an additional **112 government residential units** has been prepaired & request for formal administrative sanction for these 112 units was forwarded to the **Hon’ble High Court** via Office Memorandum No. 807, dated **May 27, 2025**.

Lawyers Hall

After getting the permission to call an estimate from the **Public Works Department (PWD)** for the construction of a new Lawyers Hall to be built in the vacant space of **Bar Room No. 04** estimate is being prepared by the concerning PWD.

New District Court Building, Durg

A letter has been issued to local administration toallocate approximately **12 acres** of available land from the Bhilai Steel Plant (BSP), located near BIT, for the new construction of the Durg District Court building.

Efforts to establish a new **District Court building in Durg** are moving forward as the local administration works to secure **12 acres** of land near BIT from the Bhilai Steel Plant (BSP). The deal involves a land exchange for government property in Pahanda Village, and the proposal has now been sent to **SAIL's headquarters in Delhi** for final approval. To keep the project on track, officials are monitoring the progress through monthly meetings to ensure the transition happens as quickly as possible.

ADR Building

The Chhattisgarh State Legal Services Authority (CG-SLSA), Bilaspur, granted permission to submit an estimate for the construction of the New ADR building. Subsequently, the prepared estimate was forwarded to the CG-SLSA through memo no. 1397 on August 21, 2025. This proposal has now been sent to the Principal Secretary of the Chhattisgarh Government, Law and Legislative Affairs Department, for further necessary action.

Guest House-cum-Transit Hostel

For the construction of a **Guest House-cum-Transit Hostel** at the Divisional Headquarters in Durg, a specific land parcel measuring **11,874.606 square feet** has been alloted. This land is located in the civil lines are which is a prime location of the city.

Residencial Accomodation for Judicial Officers

To address the shortage of Govt. accomodation for the judicial officers of Durg District, a proposal has been submitted to the administration requesting the permanent allotment of the land of the Govt. accomodations in which our judicial officers are living. Recognizing that the existing accommodation is insufficient to meet the needs of all judicial officers, the proposal envisions a strategic redevelopment plan. By securing these specific land, the judiciary aims to utilize the available space to construct modern, residential complexes. This initiative not only ensures optimal land use but also provides a long-term, sustainable solution for the housing crisis, allowing judicial officers to reside in secure and appropriate official quarters within the district.

At Patan

New Civil Court Building, Patan

Permission to submit an estimate for the construction of the New Civil Court Building in Patan tahsil has been granted. Subsequently, the prepared estimate was forwarded to the ragistry . This proposal has now been sent to the Principal Secretary of the Chhattisgarh Government, Law and Legislative Affairs Department, for further necessary action.

Residencial Accomodation for Judicial Employees

Formal administrative sanction has been sought for the construction of judicial accommodation dedicated to the employees of Patan Tehsil. Following the receipt of requisite permission to submit a formal estimate, the detailed budgetary proposal was prepared and subsequently forwarded to the Registry. This proposal has now been officially forwarded to the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, for final review and further necessary action.

Residencial Accomodation for Judicial Officers

Official permission has been granted to plan for new houses for Judicial Officers working in Patan Tehsil. After getting the go-ahead, a detailed budget and building plan were prepared and sent to the High Court Registry for review.

At Dhamdha

New Civil Court Building, Dhamdha

Afer getting the permission for the construction of the New Civil Court Building in Dhamdha tahsil the prepared estimate was forwarded to the ragistry. This proposal has now been sent to the Principal Secretary of the Chhattisgarh Government, Law and Legislative Affairs Department, for further necessary action.

Residencial Accomodation for Judicial Employees

Afer getting the permission for the construction of judicial accommodation dedicated to the employees of dhamdha Tehsil, the detailed budgetary proposal was prepared and subsequently forwarded to the Registry. This proposal has now been officially transmitted to the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, for final review and further necessary action.

Residencial Accomodation for Judicial Officers

Official permission has been granted to plan for new houses for Judicial Officers working in dhamdha Tehsil. Detailed budget and building plan were prepared and sent to the High Court Registry for review. This proposal has now been officially transmitted to the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, for final review and further necessary action.

Other Initiatives

Institutional Memory & Digital Innovation

Post-Event Digital Newsletters: For making documatation hereby we conceptualized and launched a dedicated digital newsletter series. This initiative serves as a permanent institutional record, documenting the key takeaways of every judicial function and workshop to ensure seamless information dissemination among all stakeholders.

Please find below the link to access the archive of all published newspapers-

https://durg.dcourts.gov.in/district-and-sessions-court-durg-newsletters/

Book Launch: Special Mediation Drives

A comprehensive book draft was prepared documenting the **experiences, challenges, and key learnings** gained from the Special Mediation Drives conducted within the district. The books, covering both special drives, were officially launched by the **Hon'ble The Chief Justice Mr. Ramesh Sinha Chief Justice High Court of Chhattisgarh.**

Key Highlights of the Publication:

- **District Experiences:** A detailed account of how the mediation process was implemented at the ground level.

- **Overcoming Challenges:** Insight into the logistical and legal hurdles faced during the drives and how they were resolved.
- **Lessons Learned:** A collection of best practices to serve as a roadmap for future alternative dispute resolution (ADR) initiatives.
- **High-Level Recognition:** The unveiling by the Hon'ble Chief Justice underscores the significance of these drives in reducing judicial pendency.

This resource was structured to provide a clear roadmap for stakeholders during special mediation drives, enhancing the efficacy of Alternative Dispute Resolution (ADR) in the district.

Cultural Integration in Legal Awareness

Durg Achieves Remarkable Success in 1st National Lok Adalat of the year 2026 held on 14th March, in which Hon'ble Chief Justice Launches Unique Pandwani Theme Song

The spirit of accessible and people-centric justice was vividly reflected as the 1st National Lok Adalat of the year concluded with remarkable success in Durg District today. Organized by the District Legal Services Authority (DLSA), Durg, under the aegis of the National Legal Services Authority (NALSA) and the guidance of the Chhattisgarh State Legal Services Authority (SLSA), the event witnessed enthusiastic participation from judicial officers, legal professionals, law students, and the general public. The proceedings were further elevated by the august presence of Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, who graciously inaugurated the program. The event was also graced by Hon'ble Shri Justice Naresh Kumar Chandravanshi, Judge of the High Court of Chhattisgarh and Portfolio Judge for Durg District.

Adding a unique cultural dimension to the legal proceedings, **a special Pandwani-style theme song dedicated to National Lok Adalat awareness was officially released by the Hon'ble Chief Justice,** Developed by the District Legal Services Authority, Durg, this artistic initiative beautifully merges the rich cultural heritage of Chhattisgarh with the ideals of justice and social harmony.

By integrating local folk traditions with the legal awareness movement, the initiative seeks to make the message of Lok Adalat more relatable and accessible to the masses, effectively bridging the gap between the judiciary and the community through the power of cultural expression.

Women's Day Celebration

The District Legal Services Authority (DLSA), Durg, celebrated **International Women's Day 2026** on 7th March at the District & Sessions Court under the theme **"Give to Gain: Empowering Women for an Inclusive Society"**. Organized under the guidance of the High Court of Chhattisgarh, the event focused on the philosophy that investing in women's education, safety, and leadership ultimately benefits the entire community. The celebration included a seminar where judicial officers highlighted constitutional safeguards and legislative protections, such as the **Domestic Violence Act** and the **POSH Act**, while emphasizing the judiciary's commitment to a victim-centric approach and a supportive workplace environment.

जिला न्यायालय में वरिष्ठ महिला कर्मियों का सम्मान

दुर्ग(चिन्तक)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के पालन में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज जिला न्यायालय दुर्ग में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय श्री रमेश सिन्हा के प्रेरणादायी विचारों से प्रेरित होकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायालयीन परिसर में कार्यरत महिला कर्मियों के योगदान को सम्मानित करना तथा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायालय दुर्ग के वरिष्ठ महिला कर्मचारीगण को उनके दीर्घकालीन सेवाकाल, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिवार के सदस्यों ने महिला सशक्तिकरण एवं समानता के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने विशेष रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने तथा उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अतिरिक्त सप्तदश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पर अपना प्रेरणादायक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि समाज में सहयोग, संवेदनशीलता और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देकर ही वास्तविक प्रगति और सशक्तिकरण संभव है।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा अपने संदेश में कहा गया कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा एवं समान अवसर सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहभागिता से समाज और न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील एवं सशक्त बनती है। उन्होंने अपने संदेश में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख करते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सम्मान, सहयोग और संवेदनशीलता प्रदान करने से ही एक सशक्त एवं समतामूलक समाज का निर्माण संभव है।

कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग की महिला प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान, अधिकारों और समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

A major highlight of the program was the **felicitation of 14 women employees** recognized for their long-standing dedication and outstanding contributions to the judicial institution. The event also featured a cultural dimension with a recitation titled *"Woh Shakti Hai,"* celebrating women as embodiments of resilience and progress. To encourage engagement, the venue was decorated with thematic rangolis, and a dedicated **selfie zone** was established, while male officers and staff presented roses and chocolates to participants as a mark of respect. The program concluded with a vote of thanks, reaffirming the collective responsibility of the legal fraternity to uphold the dignity and rights of every woman.

Google Survey regarding women sefty & Workshop

The District Court of Durg has released a comprehensive report detailing its initiative to ensure a safe, respectful, and harassment-free workplace for women. With women representing 52% of judicial officers and 36.6% of the staff, the court conducted a digital survey on January 12, 2026, to assess workplace safety and awareness of the Sexual Harassment of Women at Workplace (POSH) Act, 2013. While most participants found the environment generally secure, the survey revealed that some women still experience harassment but remain silent due to social hesitation, fear, or a lack of procedural knowledge. In response, the court established a formal Internal Complaint Committee (ICC) on January 19, 2026, led by Fourth District and Additional Sessions Judge Ms. Sunita Bara, to provide a clear and confidential mechanism for reporting grievances.

TheHitavada

Raipur City Line | 2026-01-23 | Page- 5
ehitavada.com

Special workshop held for building safe working environment for women

■ Staff Reporter
DURG, Jan 22

AN AWARENESS workshop for providing safe and respectable environment to women in workplace was organised in the new meeting hall of District Court, Durg.

The speakers on the occasion said that in present time women in large number are working in both government and non-government sectors. Women sometime don't complain about sexual harassment or indecent behavior and also due to lack of awareness. Keeping it in view, Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act has been implemented so that they can work in a secure place with dignity.

Principal District Judge/DLSA President said that incidents of sexual harassment support the need of laws like POSH Act and it is very essential to organize awareness programme to ensure that women stay alert regarding their rights and they can raise their voice without any fear against any kind of harassment. Officials from Women and Child Development Department gave details about she-box portal and told how the benefits of this portal can be taken. In this regard, Fourth District Judge/President of Internal Complaint Committee informed that a POSH Committee has also been constituted in District Court to ensure safe environment at workplace for women.

Process of the act, how to file complaint and the rights of women were explained in a simple and effective manner, which helped participants easily understand. The event concluded with a pledge taken for protecting rights of women, building safe workplace and effectively following POSH Act.

Judicial officers and employees as well as advocates were present in the workshop.

Participants attending the workshop.

To further strengthen these efforts, the court organized a workshop on January 21, 2026, in collaboration with the Department of Women and Child Development. This session educated judicial officers and staff on the POSH Act's legal framework and the use of the **SHe-Box** online portal for managing sexual harassment complaints. Additionally, the court implemented a new **Code of Conduct** on January 24, 2026, specifically designed to protect female litigants. This code mandates respectful treatment, ensures privacy through in-camera proceedings, and strictly prohibits solitary meetings or inappropriate language. Moving forward, the court is committed to maintaining a **Zero Tolerance** policy through regular awareness programs, counseling services, and transparent disciplinary actions to foster an inclusive and equitable judicial environment.

Workplace Safety & Professional Ethics

Gender Safety & Etiquette SOP: Spearheaded the formulation and design of a formal **Standard Operating Procedure (SOP) on Workplace Etiquette and Gender Safety**. This document sets a high standard for professional conduct, ensuring a dignified, harassment-free environment for all female staff and advocates.

Judicial Sports Meet 2026

The District Court, Durg, organized a grand district-level sports meet inspired by the continuous motivation from the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble Chhattisgarh High Court to keep judicial officers and employees health-conscious and aware. The event aimed to strengthen the physical and mental fitness, unity, energy, and harmony among judicial officers and employees. The inauguration was performed by the Principal District & Sessions Judge, who emphasized the importance of sports for a healthy body and balanced mind, essential for efficient judicial duties. The sports meet included various competitions such as chess, carrom, badminton, table tennis, and sack race, in which judicial officers and employees participated enthusiastically with sportsmanship. The competitions showcased discipline, team spirit, and remarkable mutual cooperation, creating excitement among players and spectators alike.

जिला न्यायालय दुर्ग में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का सफल आयोजन

श्रमबिन्दु / दुर्ग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों को स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहने हेतु निरंतर प्रेरित किए जाने से अनुप्रेरित होकर, जिला न्यायालय दुर्ग द्वारा न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शारीरिक एवं मानसिक सुदृढ़ता के साथ-साथ आपसी एकता, ऊर्जा एवं सौहार्द को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के करकमलों से संपन्न हुआ। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर एवं संतुलित मानसिकता न्यायिक दायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्पोर्ट्स मीट के अंतर्गत कैरम, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक एवं खेल भावना के साथ सहभागिता निभाई। प्रतियोगिताओं के दौरान अनुशासन, टीम भावना एवं पारस्परिक सहयोग का सराहनीय प्रदर्शन देखने को मिला। खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों में भी विशेष उत्साह एवं उमंग का माहौल बना रहा।

इस अवसर पर उपस्थित माननीय न्यायिक अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि नियमित खेल गतिविधियाँ न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर कार्यक्षमता, सकारात्मक सोच एवं आपसी सामंजस्य को भी प्रोत्साहित करती हैं। ऐसे आयोजन न्यायालयीन वातावरण को अधिक सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। स्पोर्ट्स मीट के सफल आयोजन में आयोजन समिति, न्यायालयीन स्टाफ एवं स्वयंसेवकों का योगदान सराहनीय रहा। जिला न्यायालय दुर्ग द्वारा आयोजित यह स्पोर्ट्स मीट न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक, प्रेरणादायी एवं स्मरणीय आयोजन के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की गरिमामयी उपस्थिति रही।

The Hon'ble judicial officers present at the event highlighted that regular sports activities not only improve physical health but also reduce mental stress, enhance work efficiency, positive thinking, and mutual harmony, making the judicial environment more cordial and collaborative.The event was a grand success, with the sports meet achieving its objective of promoting health, collaboration, and excellence within the judicial institution through sports.

Legal literacy campaign through street play (*Nukkad Natak*)

During the Silver Jubilee celebrations of Chhattisgarh Rajyotsav in Durg, the District Legal Services Authority (DLSA) launched a significant legal literacy campaign under the theme **"Justice for All."** To make complex legal concepts accessible to the general public, the authority set up an interactive stall providing simplified information on free legal aid, child rights, and protection against domestic violence. A major highlight of the event was a compelling street play (*Nukkad Natak*) performed by legal professionals and volunteers, which addressed modern social crises such as **mobile addiction in children**, substance abuse, and juvenile delinquency. By distributing educational brochures and engaging citizens through performance art, the initiative successfully bridged the gap between the legal system and the community, drawing large crowds and encouraging parents to guide the next generation toward a more legally aware and socially responsible future.

A video of this street play (*nukkad natak*) was shot and uploaded to the DLSA's YouTube channel, where it garnered over **3,500 views** within just one week.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत जयंती

राज्योत्सव में विधिक साक्षरता का दिखा नया स्वरूप
नुक्कड़ नाटक में दिखाया न्याय सबके लिए

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों में उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट पहल की। राज्योत्सव परिसर में प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्येय वाक्य "न्याय सबके लिए" की आकर्षक थीम पर विशेष विधिक साक्षरता स्टॉल लगाया गया। यह स्टॉल आमजन को सरल भाषा में कानूनी जानकारी प्रदान करने का केंद्र बिंदु रहा। जिसमें नागरिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा संचालित बच्चों की समस्याओं से संबंधित व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, मध्यस्थता, लोक अदालत, बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिक संरक्षण, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, बाल विवाह निषेध, नशा मुक्ति आदि कानूनी विषयों के बारे में विस्तार से बताकर उनका मार्गदर्शन किया गया। साथ ही आने वाले लोगो को कानूनी जानकारी युक्त पॉमप्लेट, ब्रोशर एवं परामर्श पर्चे वितरित किए गए, जिससे वे घर जाकर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।

नुक्कड़ नाटक बच्चों की समस्याओं पर प्रस्तुति

जागरूकता कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली हिस्सा प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक रहा। जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के अधिवक्ताओं और प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वेच्छा से नाटक में भाग लेकर जनजागरण की दिशा में सराहनीय योगदान दिया। नाटक का केंद्र बिंदु बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत, नशे की प्रवृत्ति, बाल श्रम और बाल अपराध जैसी गंभीर सामाजिक समस्याएं थीं। नाटक के माध्यम से बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा एवं कानून की जानकारी का सशक्त संदेश दिया गया। इस दौरान अभिभावकों ने समाज की इस गंभीर चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने और अपने बच्चों को सही दिशा देने का संकल्प लिया। राज्योत्सव के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के स्टॉल पर भारी भीड़ उमड़ी।

Paintings made by inmates of Durg Jail

Recognizing the hidden talent and creative potential within the prison walls, the **District Legal Services Authority (DLSA)** has taken a commendable initiative to motivate and empower inmates. Through dedicated guidance, the inmates have channeled their skills into creating stunning artworks and paintings that reflect profound artistic depth.

These masterpieces are not only showcased in every workshop but have also become a symbol of transformation and hope. In a unique gesture of appreciation, these paintings are often presented **to distinguished guests** visiting Durg Court, bridging the gap between the incarcerated and society through the universal language of art.

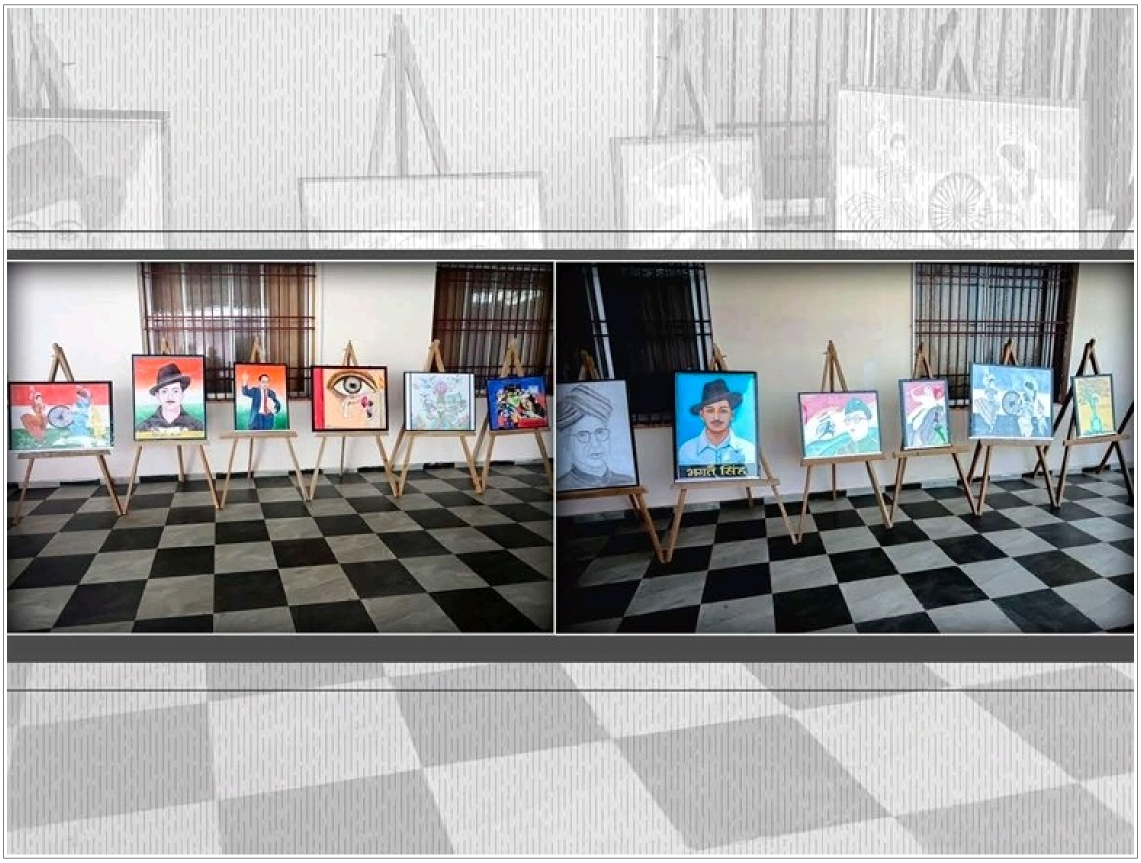

Statistical information

At the Durg establishment over the past year (from May 2025 to May 2026), the following figures represent the ratio and statistics of case institution versus disposal.

Institution Vs Disposal from MAY 2025 TO APRIL 2026					
HJS				LJS	
Month	Institution	Disposal		Institution	Disposal
May 2025	204	286		9018	11838
June 2025	309	303		2006	910
July 2025	409	434		2835	1036
August 2025	310	282		2148	868
Sept. 2025	389	496		9955	12471
October 2025	330	270		1752	971
Nov. 2025	388	325		4912	978
Dec. 2025	340	449		11788	14574
January 2026	443	431		1423	1296
Feb. 2026	342	319		4128	1168
March 2026	304	400		8742	12501
April 2026	378	338		2478	1424
Total	4146	4333		61185	60035

Figures showing that we are maintaining a healthy balance between new filings and disposed cases to prevent a backlog.

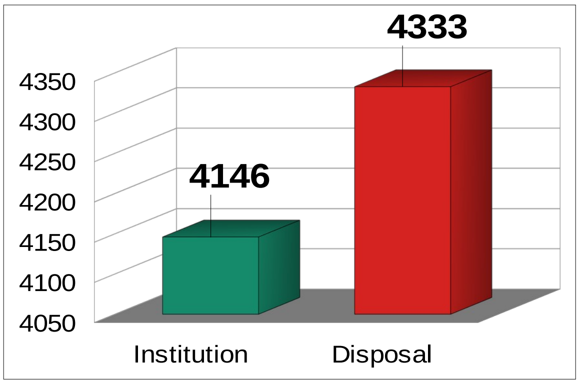

HJS

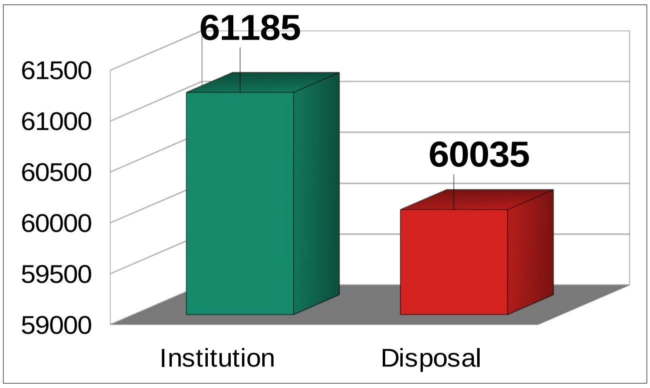

LJS

Following are the details of National Lok Adalat held in last 1 year-

Disposal details of Lok Adalat		
Lok Adalat held On	**Disposed Pre-Litigation Cases**	**Disposed Pending Cases**
10th May 2026	518767	17993
13th Sept. 2025	629435	191372
13th Dec. 2025	982276	21610
14th March 26	1001526	12204
9th May 2026	775108	17293

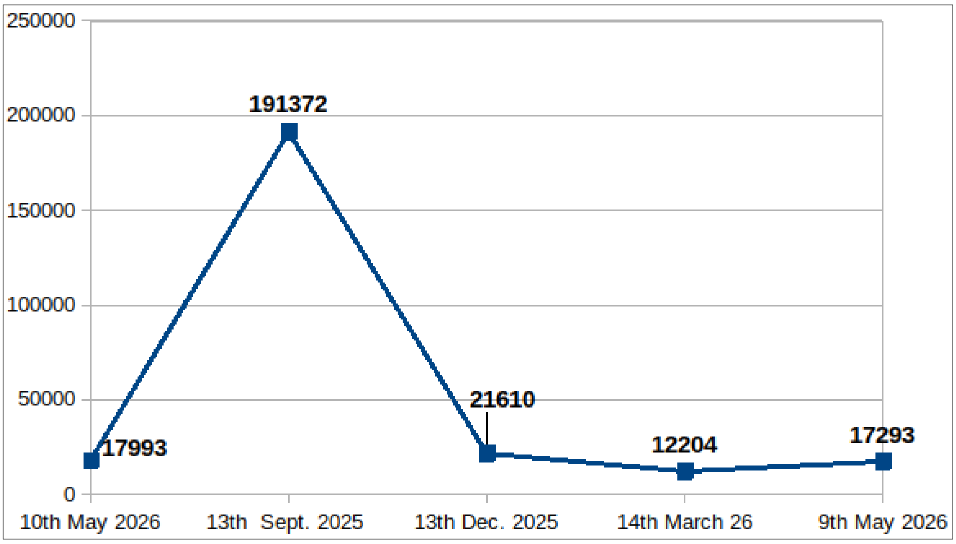

Disposed Pending Cases

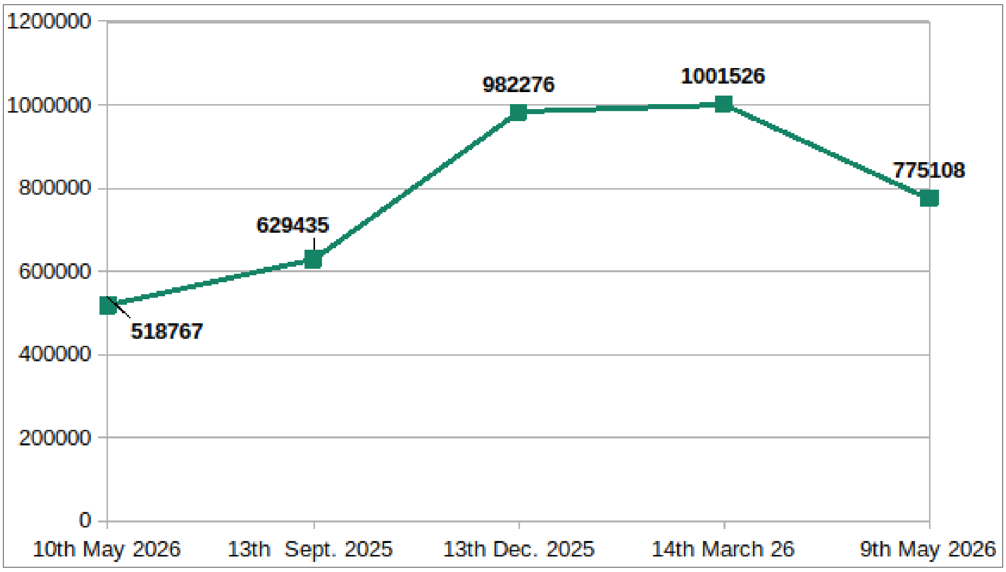

Disposed Prelitigation Cases

The Principal District Court of Durg has established a remarkable benchmark by fostering a seamless synergy between **judicial excellence** and **administrative efficiency**. This success is a testament to the unified vision of the entire judicial Officers of Durg District, administrative officers, and support staff, proving that high-quality adjudication thrives best within a culture of **shared responsibility** and **streamlined governance**.

This summary highlights a comprehensive approach to judicial work, demonstrating significant progress and successful adjudication across **every category of case type.**

Disposal Data from MAY 2025 TO APRIL 2026					
Civil Case Type wise Disposal				**Criminal Case Type wise Disposal**	
Appeal	**Reg**	**26**		**Session Total**	**43**
	Misc.	**9**		**SC/ST**	**26**
Civil suit		**11**		**Protection of Depositors Interest Act 2005**	**7**
Arbitration		**49**			
M.J.C.		**168**		**Appeal**	**82**
M.A.C.T.	**Reg**	**99**		**Revision**	**95**
	Misc.	**42**		**Misc**	**35**

Under the valuable guidance and leadership of our Principal District Judge Sir, various processes related to promotions, departmental inquiries, and service confirmations were effectively streamlined throughout the year, leading to timely and positive outcomes for several employees.

S.N.	**Particulars**	**Details**
1	**Departmental Inquiry** Resolved	**3**
2	**Compassionate Appointment**	**2**
3	**Promotion** from Class IV to Class III	**2**
4	**Promotion** from Jamadar to Process Server	**3**
5	**Confirmation** of Class III & Stenographer	**29**
6	**Confirmation** of Class IV Employee	**29**
7	**Time-scale pay**	**9**

"A comprehensive compilation of news highlights documenting the various legal awareness initiatives and activities conducted throughout the year."

मुख्य न्यायाधिपति के मार्गदर्शन में श्रमिकों को दी गई विधिक अधिकारों की जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के पावन अवसर पर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर विधिक जनजागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा समय-समय पर यह निर्देशित किया गया है कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग, विशेषकर श्रमिकों, को गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना न्याय प्रणाली की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राज्य में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से लाखों प्रकरणों के त्वरित एवं सौहादर्पूर्ण निराकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे श्रमिकों एवं आम नागरिकों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके तथा विवादों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के विशेष अवसर पर जिला दुर्ग में आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों का मुख्य उनके विधिक अधिकारों, श्रम संबधी कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में जागरूक करना रहा। सेठ रतनचद सुराना लॉ कॉलेज, दुर्ग में आयोजित विशेष विधिक जागरूकता शिविर में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा श्रमिकों के अधिकारों, विभिन्न श्रम कानूनों के अतर्गत प्राप्त संरक्षण, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में सरल, प्रभावी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के शोषण, भेदभाव या अन्याय की स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। उक्त कार्यक्रम में अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, प्राचार्य अखिलेश अग्रवाल, अधिवक्तागण एवं श्रम विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय जेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलव्ही) एवं एलएडीसीएस कमर्चारियों द्वारा बनाई गई चित्रकला प्रदशर्नी भी लगाई गई, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने सराहा। इसके अतिरिक्त, जिले के अन्य स्थानों पर भी न्यायाधीशगण एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर नागरिकों एवं श्रमिकों को श्रम कानूनों, विधिक अधिकारों एवं नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा पॉम्पलेट वितरण, जनसंवाद, व्यक्तिगत परामर्श एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन तक सरल भाषा में विधिक जानकारी पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा उपरोक्त विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर यह सुनिश्चित करने का सुदृढ कदम उठाया गया कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर श्रमिक वर्ग, तक विधिक सेवाएं सुलभ एवं प्रभावी रूप से पहुँच सके।

TheHitavada
Raipur City Line | 2026-04-27 | Page- 5
ehitavada.com

DLSA celebrates National Financial Literacy Day with awareness camps

■ **Staff Reporter**
DURG, Apr 26

DISTRICT Legal Services Authority (DLSA), Durg organised elaborate and effective financial literacy awareness camps on the occasion of National Financial Literacy Day on Saturday.

Under the supervision of Principal District Judge/President of DLSA Durg, paralegal volunteers from Durg, Bhilai-3 and Dhamdha actively participated in the camps and raised awareness among people regarding their legal rights and financial literacy.

The volunteers also visited people door to door in villages and cities and made the people aware about cyber fraud and related crimes.

Awareness among people was also raised regarding free legal services provided to them.

People were told that those in need and those financially weak can obtain free legal counsels and advice through DLSA, Durg.

The volunteers also appealed people not to share One Time Passwords with any other person and using cyber helpline number 1930 to report the matter. They were also told about the process in detail for lodging complaints regarding cyber fraud or crime.

Awareness among people being raised through the camps.

हरिभूमि

epaper.haribhoomi.com
Ispat Bhoomi - 17 Apr 2026 - Page 6

सेठ रतनचंद सुराना विधि कॉलेज में वैकल्पिक विवाद समाधान सेमिनार

संविधान व वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणा पर विस्तारपूर्वक दी जानकारी

कार्नर न्यूज

दुर्ग। सेठ रतनचंद सुराना विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आयोजित वैकल्पिक विवाद समाधान विषयक सेमिनार का द्वितीय दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ, असिस्टेंट अधिवक्ता एवं मीडिएटर अधिवक्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को संविधान एवं वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणा पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है, किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है तथा यह समाज एवं न्याय प्रणाली को किस प्रकार सुदृढ़ बनाता है।

व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया

लोक अदालत एवं मीडिएशन की प्रक्रिया, उनके महत्व तथा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से विषय को सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया। विशेषज्ञों ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, मीडिएशन के विभिन्न प्रकार एवं उनकी प्रभावशीलता पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही वर्तमान समय में वैकल्पिक विवाद समाधान की बढ़ती प्रासंगिकता एवं उसकी व्यापक उपयोगिता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के संबंध में भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को ऑनलाइन विवाद समाधान की अवधारणा, उसके प्रारंभ, उपयोग के क्षेत्रों एवं लाभों से अवगत कराया गया। साथ ही उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी भी साझा की गई।

मध्यस्थता 2.0 की अवधारण पर प्रकाश डाला

मीडिएशन की प्रक्रिया को अधिक रोचक एवं व्यावहारिक बनाने के लिए विशेषज्ञों ने फिल्मों के किरदारों के उदाहरणों के माध्यम से विवाद समाधान की भूमिका को सहज ढंग से प्रस्तुत किया तथा मध्यस्थता 2.0 की अवधारणा पर भी विशेष प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीकी साधनों के प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शन देते हुए विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से प्राप्त जानकारी के सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इससे संबंधित एक प्रासंगिक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जेल के बंदियों, पैरालिगल वॉलंटियर्स एवं एलएडीसीएस के स्टॉफ द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया, जिसे विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनों ने अत्यंत सराहा। कार्यक्रम के समापन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य को राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 विषयक विशेष पुस्तक आईसागर - दुर्ग जिले का मध्यस्थता रणनीति मॉडल भेंट की गई तथा इसकी सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों को तत्काल प्रेषित की गई। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह एवं सक्रियता के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की तथा विभिन्न विधिक विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल, स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान किया गया। यह विधिक साक्षरता सेमिनार विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ एवं उन्होंने इसे ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक अनुभव बताया।

नवभारत

छत्तीसगढ़ • ओडिशा • असम
Bhilai City - 15 Apr 2026 - 15bh4
epaper.navabharat.news

अंबेडकर जयंती पर श्रद्धासुमन के साथ विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ

दुर्ग। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा न्यायालय परिसर में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में डॉ. अंबेडकर के विचारों, उनके संघर्षमय जीवन एवं भारतीय समाज को समानता, न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक करने में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा एक विशेष विधिक जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत आमजन को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स को जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रवाना किया गया। आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा आम

नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, नेशनल लोक अदालत, महिला एवं बाल संरक्षण, श्रमिक अधिकार, तथा सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की गयी।

इसी क्रम में, एलएडीसीएस के काउंसिल द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों में सक्रिय सहभागिता करते हुए नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता, आपराधिक मामलों में अधिकार, जमानत प्रक्रिया, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नयापारा, राजीवनगर, विद्यानगर, पंचशील नगर रिसाली, चांदनी चौक धनोरा, कोड़िया, हनोदा, कोकड़ी, हरदी, नंदिनी, चिंगरी, बीरेझर, अंजोरा, माटरा, धमधा, सहगांव, डोमा, अहरी, सगनी, झिट, तुलसी, कापसी, बेलोदी, बजरंग पारा भिलाई, पुरैना, आदर्श नगर, खुर्सीपार, महमरा, दमोदा, खुड़सुल, सिलोदा आदि स्थानों पर विधिक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा संचालित यह पहल डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के "समानता एवं न्याय" के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा • असम
Bhilai City - 05 Apr 2026 - 05bh2
epaper.navabharat.news

न्यूज डायरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से बदला दिव्यांग बालक का जीवन

दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के हित में किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जिसमें एक 12 वर्षीय दिव्यांग बालक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छग) को धनोरा में ऐसे बालक की जानकारी मिली, जो अपने दोनों हाथों के सहारे चलने को विवश था। बालक की शारीरिक स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी, वहीं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। उसके पिता वाहन चालक हैं तथा माता घरों में कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। सीमित संसाधनों के कारण वे अपने पुत्र के लिए आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा बालक के परिवार से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई एवं तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को अवगत कराया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा त्वरित पहल की गई तथा समाज कल्याण विभाग दुर्ग से समन्वय स्थापित कर बालक को ट्राई साइकिल एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। उक्त सहयोग से बालक के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। अब वह सहज रूप से विद्यालय आ-जा पा रहा है तथा अपने साथियों के साथ सामान्य जीवन जीने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही उसकी मानसिक स्थिति में भी सकारात्मक सुधार हुआ है, जिससे उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस | पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने फैलाई स्वास्थ्य-विधिक जानकारी

दुर्ग में स्वास्थ्य-विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दुर्ग@ पत्रिका. 08 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने व्यापक स्वास्थ्य व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में दुर्ग, पाटन, भिलाई-3 और धमधा क्षेत्र के पैरालीगल वॉलंटियर्स ने सक्रिय सहभागिता निभाई। वॉलंटियर्स की टीमों ने स्वास्थ्य केन्द्रों, गांवों, शहरों, स्कूलों, कॉलेजों तथा मोहल्लों में घर-घर जाकर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली के महत्व की जानकारी दी।

आम जनता को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा और विभिन्न प्रकार की विधिक सलाह के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि दुर्ग जिले के आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से निःशुल्क अधिवक्ता व विधिक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्त जीवन के लाभों पर चर्चा हुई। साथ ही, एनडीपीएस एक्ट, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा, महिला अधिकार, बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधिक विषयों पर भी जानकारी प्रदान की गई।

संवाद किया

- कार्यक्रम में आमजन ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य व विधिक विषयों पर संवाद किया। प्राधिकरण का यह प्रयास समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में रहा।

नवभारत
Bhilai City - 31 Mar 2026 - 31bh1
epaper.navabharat.news

निरीक्षण

पैरवी के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति किए जाने की जानकारी दी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केन्द्रीय जेल दुर्ग का किया निरीक्षण

नवभारत रिपोर्टर । दुर्ग ।

28 मार्च को मुख्यालय स्थित केन्द्रीय जेल दुर्ग का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग (छग) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उन्होंने महिला प्रकोष्ठ में निरूद्ध महिला बंदियों से उनकी प्रकरण की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। तत्पश्चात जेल अस्पताल में बीमार बंदियों के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत हुए। उन्होंने पुनर्वास आधारित योजनाएँ के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बंदियों, एल.ई.डी. बल्ब, आचार, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री तैयार कर रहे बंदियों से उनके प्रकरण में बारे में जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में सजायाफ्ता बंदियों के अपील संबंधी प्रकरणों को अद्यतन करने एवं बंदियों को प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के निर्देश जेल अधिकारियों को दिये।

उन्होंने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नालसा की निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं के तहत नव आगंतुक बंदियों को उनके प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के विषय में बताया गया तथा जो बंदी निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता सलाह प्रदान कर उनकी पैरवी हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति किए जाने की जानकारी दी गई। जेल प्रशासन को ऐसे बंदी जिन्हें परिहार का लाभ दिया जा सकता है, उनके आवेदन के लंबित रहने के कारणों सहित जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने स्वच्छता का विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए जेल प्रशासन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बंदियों को प्रदान की जाने वाली सभी मौलिक सुविधाएं, जिनमें स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित चिकित्सा जाँच और शिक्षा के अवसर भी सम्मिलित हैं, को बिना किसी व्यवधान के प्रदान किया जाना सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कैदियों का डेटा (ट्रायल स्थिति, जमानत, सजा अवधि) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सत्यापित किये जाने के संबंध में जानकारी लेकर लंबित मामलों वाले बंदियों की पहचान कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जेल अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, कौंसिल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सरपंचों की हुई महत्वपूर्ण बैठक

ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका निर्णायक

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। आगामी नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 के सफल एवं व्यापक आयोजन के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा विभिन्न ग्रामों के सरपंचों की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा किया गया।

बैठक में यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि ग्राम स्तर पर सरपंच प्रारंभिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायतें स्थानीय विवादों, राजस्व प्रकरणों, पारिवारिक मतभेदों, बैंक ऋण संबंधी मामलों, विद्युत एवं जलकर बकाया, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की प्रथम जानकारी का प्रमुख स्रोत होती हैं। ऐसे में सरपंचों की सक्रिय भागीदारी के बिना अधिकतम प्रकरणों की पहचान एवं सूचीकरण संभव नहीं है।

सचिव ने कहा कि सरपंच न केवल स्थानीय स्तर पर पक्षकारों के मध्य संवाद स्थापित करने में सक्षम हैं, बल्कि वे आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में विश्वास निर्माण की भूमिका भी निभाते हैं। उन्होंने सरपंचों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने ग्रामों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन योग्य प्रकरणों की प्रारंभिक छंटनी कर सूची तैयार करें तथा संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराते हुए सहभागिता सुनिश्चित करें। बैठक में ग्राम स्तर पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने, मुनादी/सूचना प्रसारण, ग्राम सभाओं में घोषणा तथा व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। सरपंचों ने आश्वासन दिया कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकतम प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार उपरोक्त गतिविधि के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने स्पष्ट किया है कि नेशनल लोक अदालत त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है, जिसकी सफलता में ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर सरपंचों की सहभागिता अत्यंत निर्णायक है।

TheHitavada
Raipur City Line | 2026-02-08 | Page- 2
ehitavada.com

Training programme on investigations under NDPS Act

■ **Staff Reporter**
DURG, Feb 7

A TRAINING programme was organized in Dadhichi Training Hall at old Police Line, Durg on Saturday for police officers/investigators so as to make the investigations into the cases under NDPS Act more effective, lawful and strong. Abhishek Shandilya, Inspector General of Police (Durg Range) through a case study provided supervision for taking lawful actions while paying special attention towards quality of investigations into NDPS cases. Vijay Agrawal, Senior Superintendent of Police and Deputy IG told about things to remember in cases relating to banned capsules and tablets to improve the quality of investigations.

Deputy Director (prosecution) Bheem Singh Rajput gave detailed explanations on sections 50, 55 and 57 of the NDPS Act and also threw light on actions under section 29 of the Act in case the number of accused exceed one.

Officers attending the training.

Sunita Toppo, Special Judge under NDPS Act provided her supervision of importance of minute evidences, purity of documental evidences and how to clearly write the complete description during investigations.

Ravi Kashyap, Judicial Magistrate (First Class) explained the nuances of investigations and lawful actions which meet court's expectations. Pankaj Tamrakar, Senior Scientific Officer (FSL) imparted training on sampling process, preparing clear and errorless documents on spot, avoiding overwriting and sending the seized substances to FSL early.

Manishankar Chandra, Additional Superintendent of Police (rural) gave information regarding investigations in banned tablet/capsule cases, chain of custody etc. Chandra Prakash Tiwari, Deputy SP (line), Durg and around 75 police officers/investigators from police stations of the district were present.

अग्रिम विवेचना, जमानत और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर हुई कार्यशाला

कानून की बारीकियों के साथ रचनात्मकता का संगम

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में विधिक ज्ञान और कलात्मकता का एक अनूठा संगम देखने को मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में ÷अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस÷ जैसे गंभीर, प्रासंगिक और समसामयिक विषयों पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रातः 10 बजे आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

उक्त कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने कानून के तकनीकी पहलुओं को बहुत ही सरल अंदाज में प्रस्तुत किया। श्रीमती पल्लवी गुप्ता (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग) ने 'अग्रिम विवेचना' (Further Investigation) की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक बेहतर विवेचना ही न्याय की नींव होती है। श्रीमती शिक्षा मेश्राम (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग) ने 'जमानत' (Bail) के नवीनतम प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी दी। सौरभ शेन्द्रे (असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दुर्ग) ने वर्तमान डिजिटल युग में 'इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस' की महत्ता, संग्रहण और न्यायालय में उनकी ग्राह्यता पर सारगर्भित वक्तव्य दिया। इस अवसर पर अपने सारगर्भित उद्बोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने संबोधित किया कि ÷बदलते दौर में अपराधों की प्रकृति हाईटेक हो गई है, ऐसे में ÷अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस÷ की बारीकियों को समझना अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के लिए अनिवार्य है।÷ उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में अग्रिम विवेचना, जमानत के सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इनके विधिसम्मत एवं संवेदनशील प्रयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने विवेचना को निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत ढंग से किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे अपराध के सही अनावरण के साथ-साथ निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। जमानत के संदर्भ में उन्होंने 'बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन' के सिद्धांत का उल्लेख किया तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विधि के अनुरूप संग्रहण एवं प्रस्तुतीकरण को समय की आवश्यकता बताया।

रंगोली और पेंटिंग प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र : प्रतिभा ने मोहा मन

कार्यशाला की गंभीरता के बीच रचनात्मकता के रंगों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा विषय वस्तु पर आधारित एक भव्य और संदेशपरक रंगोली तथा बैनर तैयार किया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह 'चित्रकला प्रदर्शनी' (Painting E&hibition) रही, जिसमें केन्द्रीय जेल दुर्ग के बंदियों और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के स्टॉफ द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया। इन पेंटिंग्स के माध्यम से न केवल कला का प्रदर्शन हुआ, बल्कि बंदियों और विधिक कार्यकर्ताओं की छिपी हुई प्रतिभा और भावनाओं को भी एक मंच मिला। इस अवसर पर जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण और न्यायालयीन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

TheHitavada
Raipur City Line | 2026-02-27 | Page- 5
ehitavada.com

Seminar on 'Speedy Trial in cases of Succession Act' at District Court

Staff Reporter
DURG, Feb 26

A SEMINAR on 'Speedy Trial in cases of Succession Act' was organised in new auditorium at the District Court, Durg under the aegis of District Legal Services Authority (DLSA), Durg.

The objective behind the seminar was to deliberate on ways for ensuring effective and timely delivery of justice in cases related to the Succession Act.

Judicial officers and advocates attending the seminar.

The speakers invited in the seminar provided detailed and practical information regarding important legal provisions related to Succession Act and judicial working process for quick disposal of civil cases. The speakers highlighted the practical problems coming in front of judicial officers and advocates along with their solutions.

In his address, Chief guest, Principal District and Sessions Judge/President of DLSA, Durg, K Vinod Kujur stated that the judicial system's role in not limited only upto delivering judgment but also timely and effective delivery of justice.

He said that quick disposal of civil cases is responsibility of judiciary as delay in the same leads to parties in dispute facing unnecessary challenges which adversely impacts trust in the judicial system.

The District Judge also stated that legal clarity and balanced perspective are necessary in cases related to succession. The seminar proved to be an important step in making judicial process more effective and speedy.

नवीन आपराधिक कानून के जागरूकता की प्रदर्शनी का किया आयोजन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बढ़ाया उत्साह, पुलिस कण्ट्रोल रूम परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का छात्र-छात्राएं भ्रमण कर कार्यशाला में हुए सम्मिलित

दुर्ग (साइट ऑफ ट्रूथ)। पुलिस कण्ट्रोल रूम, सेक्टर-06 भिलाई में तीन नवीन भारतीय आपराधिक कानूनों से जागरूक 29 नवंबर 2025 को किए जाने विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों के लिए एकदिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मान. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री के. विनोद कुजूर व्दारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। नवीन आपराधिक कानून के अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध से निपटने के लिए शामिल किए गए धाराओं की विशेषताओं से भी अवगत कराया गया।प्रधान जिला न्यायाधीश ने नवीन कानून के प्रावधानों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रदर्शनी के लिए दुर्ग पुलिस की सराहना की। श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग व्दारा छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि नवीन आपराधिक कानून अब दण्डात्मक के स्थान पर न्यायवरक एवं सुधारात्मक है, कानून में न्याय को प्राथमिकता दी गई है, नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसी के साथ त्रिनयन एप एवं समाधान एप के संबंध में जानकारी देकर इमरजेंसी नम्बर से भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया । कार्यशाला में श्री उमेश कुमार सचिव विधिक सेवा समिति, श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, दुर्ग, श्री अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सभी उपस्थित थे ।

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bhilai City - 22 Jan 2026 - 22bh4
epaper.navabharat.news

महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने लगाई गई जागरुकता कार्यशाला

सम्मानजनक वातावरण के लिए जिला न्यायालय में विशेष कार्यशाला

नवभारत रिपोर्टर । दुर्ग।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) के अंतर्गत महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। कई बार महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न अथवा अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाने से डरती हैं या जानकारी के अभाव में शिकायत नहीं कर पातीं। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉश एक्ट लागू किया गया है, ताकि महिलाएं बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में कार्य कर सकें। कार्यशाला में मुख्य रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष आंतरिक शिकायत समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, न्यायाधीशगण, सुश्री नीता जैन, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग, उमा भारती अधिवक्ता, सावित्री तिवारी, महिला उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से श्रीमती प्रीति बाला उपस्थित रहीं।

पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए अधिनियम को बताया

कार्यशाला के दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिनियम की प्रक्रिया, शिकायत दर्ज करने की विधि एवं महिलाओं के अधिकारों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया, जिससे प्रतिभागियों को विषय को समझने में विशेष सुविधा हुई। कार्यक्रम का समापन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण एवं पॉश एक्ट के प्रभावी पालन के संकल्प के साथ किया गया।

प्रताड़ना के विरुद्ध निर्भीक होकर उठाएं आवाज : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने अपने संबोधन में महिला कर्मचारियों के साथ घटित मामलों के उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 क्यों आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों की जानकारी एवं समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज़ उठा सकें।

दी गई शी-बाक्स पोर्टल की जानकारी : कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी द्वारा शी-बाक्स पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति में महिलाएं इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं।

आंतरिक शिकायत समिति का गठन : चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष आंतरिक शिकायत समिति, जिला न्यायालय दुर्ग ने बताया कि जिला न्यायालय दुर्ग में भी पॉश एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन पूर्व से ही किया गया है, जिससे न्यायालय परिसर में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग में जमीन संबंधी विवाद का प्री लिटिगेशन प्रकरण 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक निराकृत

श्रमबिन्दु / दुर्ग

जिला न्यायालय परिसर दुर्ग स्थित मध्यस्थता केन्द्र में भूमि संबंधी विवाद से जुड़े एक प्री-लिटिगेशन प्रकरण को मात्र 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक निराकृत किया गया है।

दोनों पक्षकारों के मध्य लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद को राजीनामा समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। इस सफल मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्षों ने सहयोग व सहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी, जिससे न केवल समय और धन की बचत हुई, बल्कि उभय पक्ष के मध्य संबंधों में भी सौहार्द बना रहा।

इस उपलब्धि का श्रेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थ, तथा समस्त मध्यस्थता टीम के समन्वित प्रयासों को जाता है, जिनके मार्गदर्शन एवं निरंतर प्रयास से यह प्रकरण शीघ्रता से समाधान तक पहुंच सका। प्राधिकरण द्वारा यह सतत प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से समयबद्ध एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकृत किए जाएँ, ताकि आम नागरिकों को सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bhilai City - 11 Nov 2025 - 11bh2
epaper.navabharat.news

आयोजन संवैधानिक करुणा और न्यायिक सक्रियता की मिसाल

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला

नवभारत रिपोर्टर । दुर्ग।

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की संवेदनशील एवं दूरदर्शी न्यायिक दृष्टि के अनुरूप, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा इस वर्ष विधिक सेवा दिवस को केवल एक दिवस तक सीमित न रखते हुए इसे विधिक सेवा माह के रूप में समर्पित किया गया है। यह अभियान बाल अधिकार संरक्षण, पीड़ितोन्मुख न्याय, विधिक जागरूकता तथा पुनर्वास एवं सुधार आधारित न्यायिक दृष्टिकोण को सशक्त करने हेतु केंद्रित है। 9 नवंबर को द्वीप प्रज्जवलन के साथ जिला न्यायालय के नवीन सभागार में बाल अपराध एवं सुरक्षा पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने व्यक्त किया कि बच्चे केवल आज के नागरिक नहीं, बल्कि कल के राष्ट्रनिर्माता हैं। उन्हें सही दिशा, संवेदनशील वातावरण और विधिक सुरक्षा प्रदान करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य है।

कार्यक्रम में उपस्थित जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अपने उद्बोधन में बाल संरक्षण और समाजनिर्माण के सूक्ष्म एवं मानवीय आयामों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी कार्यक्रम जिला न्यायालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किए जाएंगे, तथा जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग का विस्तृत उद्बोधन में पॉक्सो और बाल सुरक्षा कानूनों के तकनीकी एवं न्यायिक अनुप्रयोग पर विवेचना अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जांच और अभियोजन अत्यंत संवेदनशील, वैज्ञानिक और प्रमाण-आधारित होना चाहिए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि पूरे पुलिस विभाग की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग लगातार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री पद्मश्री तंवर ने नशामुक्ति अभियान की रणनीतियों एवं पॉक्सो मामलों की संवेदनशीलता और संतुलित विधिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

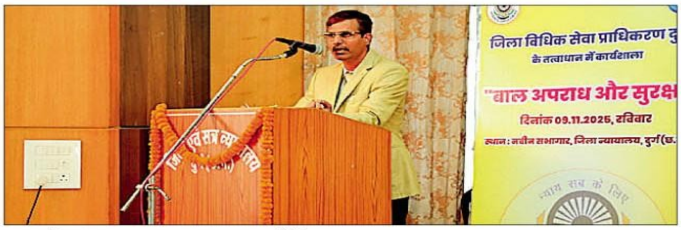

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिश दुबे ने अपने उद्बोधन में न्यायिक प्रक्रिया के व्यावहारिक एवं तकनीकी पक्षों पर प्रकाश डाला। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवध किशोर ने बाल अपराध एवं सुरक्षा पर अपने उद्बोधन में कहा कि बाल संरक्षण की अवधारणा का मूल उद्देश्य केवल विधिक दंड निर्धारण नहीं, बल्कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग बच्चों को सही वातावरण, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करना है।

अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सुश्री नीता जैन ने अपने संबोधन में कहा कि आज बच्चों का व्यक्तित्व सिर्फ परिवार और विद्यालय से ही नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया से भी निर्मित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाल अपराध केवल कानून का विषय नहीं, यह माता-पिता की भागीदारी, संवाद और सतर्कता से भी गहराई से जुड़ा है। यदि घर में स्नेह, मार्गदर्शन और ध्यान का वातावरण हो, तो बच्चा किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचते हुए सही दिशा में विकसित होता है। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट भगवान दास पनिका द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तकनिकी बारीकियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, सिविल जज

चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन

समापन सत्र में केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध बंदियों एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा निर्मित चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, जिसने यह पुनः रेखांकित किया कि न्याय का उद्देश्य केवल दण्ड देना नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्स्थापना और मनुष्य में निहित उजाले को पुनः जागृत करना भी है।

बाल सुरक्षा ब्रिगेड शीघ्र प्रारंभ

विधिक सेवा माह के अंतर्गत शीघ्र ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त समन्वय से बाल सुरक्षा ब्रिगेड का शुभारंभ किया जाएगा। यह ब्रिगेड विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षा, आत्मविश्वास, जागरूकता, नशा एवं शोषण से बचाव, और सहपाठी सहायता प्रणाली के लिए प्रशिक्षित करेगी। यह अभियान केवल कार्यक्रम नहीं एक सामाजिक जागृति, न्याय का मानवोन्मुख विस्तार और भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है।

वरिष्ठ श्रेणी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नवाचारी विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यालयों एवं बाल-संवेदनशील समुदायों में होने वाले आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश भागवतकर एवं धन्यवाद ज्ञापन भूपेन्द्र कुमार बसंत द्वारा किया गया।

एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव दंडनीय अपराध: प्राधिकरण

एड्स संबंधी भ्रम और रोकथाम को लेकर दरबार मोखली में आयोजन हुआ।

सिटी रिपोर्टर|भिलाई

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा ग्राम दरबार मोखली के शासकीय हाई स्कूल में विशेष विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने विद्यार्थियों को एड्स/एचआईवी से संबंधित भ्रम, जागरुकता, रोकथाम तथा इससे जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव करना कानूनन दंडनीय है। एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत संक्रमित व्यक्तियों को गोपनीयता, उपचार, शिक्षा, रोजगार एवं समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना के बारे में भी समझाया।

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया

सिटी रिपोर्टर | दुर्ग

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने बंदियों की सुविधाओं की जानकारी ली।

दुर्ग मुख्यालय स्थित केंद्रीय जेल दुर्ग का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने बंदियों के परिजनों से मिलने के लिए बनाए गए मुलाकात कक्ष, जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक, प्रशासनिक प्रबंधन, बंदी कक्षों की स्थिति, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, पाकशाला और भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया। उनके द्वारा नए आपराधिक विधियों के तहत बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने पर जोर दिया गया, जेल पैरालीगल वालेंटियर से किए जाने वाले कार्यों एवं नव आगंतुक बंदियों को दिए जाने वाले विधिक जानकारी के संबंध में जानकारी ली गई। उन्होंने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

जो बंदी निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता सलाह प्रदान कर उनकी पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति किए जाने की जानकारी दी।

जेल प्रशासन को ऐसे बंदी जिन्हें परिहार का लाभ दिया जा सकता है, उनके आवेदन के लंबित रहने के कारणों सहित जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने स्वच्छता का विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए जेल अधीक्षक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बंदियों को प्रदान की जाने वाली सभी मौलिक सुविधाएं, जिनमें स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित चिकित्सा जांच और शिक्षा के अवसर भी सम्मिलित हैं, को बिना किसी व्यवधान के प्रदान किया जाना सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जेल अधीक्षक, जेल के अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सराहनीय भूमिका

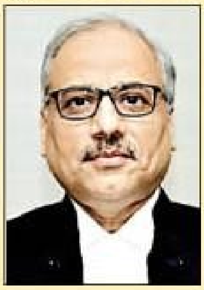

दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा मानवता एवं न्याय के संवैधानिक मूल्यों को साकार करते हुए एक निर्धन एवं जरूरतमंद बालक को संदीपनी बालक छात्रावास फरीद नगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छग) एवं उसी परिसर में स्थित शासकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने में अहम भूमिका निभाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्कल नगर दुर्ग, जिला दुर्ग (छग) निवासी 6 वर्षीय बालक की माता का देहांत हो जाने के कारण बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके पिता पर आ गयी थी। बच्चे का पिता मजदूरी कर अपने बच्चे का पालन-पोषण कर रहा था। मजदूरी करने के कारण पिता अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता था, जिसके चलते बच्चा बुरी संगति में आ गया था, जिसके कारण बच्चे की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। बच्चे की शिक्षा एवं उसके सुरक्षित तथा उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से उसका प्रवेश विद्यालय एवं छात्रावास में कराया जाना अत्यावश्यक था। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए संबंधित विद्यालय एवं छात्रावास अधीक्षक से समन्वय स्थापित किया। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर बालक को विधि एवं नियमानुसार विद्यालय एवं छात्रावास में प्रवेश दिलवाया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया में थाना सिटी कोतवाली के पैरालीगल वालेंटियर की प्रमुख भूमिका रही।

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bhilai City - 06 Dec 2025 - 06bh4
epaper.navabharat.news

मध्यस्थता की प्रक्रिया को आसान बनाने पर हुई चर्चा

जिला न्यायालय में मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 को लेकर हुई बैठक

दुर्ग। उच्चतम न्यायालय की मीडिएशन एंड कांसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा चलाए जा रहे मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला न्यायालय दुर्ग के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मीडिएशन (मध्यस्थता) की प्रक्रिया को आसान, मजबूत और लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाना था ताकि विवादों का जल्दी और सरल तरीके से समाधान हो सके। बैठक में मीडिएशन 2.0 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से मीडिएशन प्रक्रिया को पारदर्शी, समय पर और लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने की योजना बनाई गई। पारिवारिक, सिविल, आपराधिक और अन्य मामलों में न्यायालयीन कार्यवाही से पहले मीडिएशन के माध्यम से समाधान खोजने पर जोर दिया गया। मध्यस्थों और परामर्शदाताओं को नई तकनीकों और तरीकों का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल, मध्यस्थ अधिवक्ताओं, परामर्शदाताओं और न्यायिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर सहमति बनी। मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजने और उनके फॉलो-अप की प्रक्रिया को बेहतर और एक समान बनाने पर चर्चा हुई। मीडिएशन कक्षों और परामर्श सेवाओं को और सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव रखा गया। आम जनता में मीडिएशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे एक आसान व भरोसेमंद तरीका बताने पर जोर दिया गया।

बैठक के अंत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मीडिएशन 2.0 न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय, संवेदनशील और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण, जिला न्यायालय के मध्यस्थ न्यायिक अधिकारीगण, स्थायी एवं जनोपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण तथा परिवार न्यायालय के परामर्शदातागण शामिल हुए।

मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान को सफल बनाने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशगण एवं काउंसलर्स के साथ समीक्षा बैठक

दुर्ग (ट्रेक सीजी न्यूज 7869093377 सतीश पारख) मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशगण तथा काउंसलर्स के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं स्थायी समाधान हेतु मध्यस्थता एवं काउंसलिंग की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना रहा। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता को प्राथमिक विकल्प के रूप में अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट के प्रकरणों में संवाद, समझौता एवं आपसी सहमति के माध्यम से समाधान न केवल समय और व्यय की बचत करता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी सुरक्षित रखने में सहायक होता है। बैठक के दौरान फैमिली कोर्ट में लंबित एवं सुलह योग्य मामलों की पहचान, प्री-लिटिगेशन स्तर पर मध्यस्थता एवं काउंसलिंग को प्रोत्साहित करने, पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराने तथा मामलों के त्वरित संदर्भन हेतु प्रभावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। काउंसलर्स द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए तथा व्यवहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने न्यायाधीशगण एवं काउंसलर्स को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर साकार करें।

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Ispat Bhoomi - 04 Feb 2026 - Page 2

अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे प्रासंगिक विषयों पर मंथन

बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन...इस बात को ध्यान रखकर अपराधिक मामलों पर होती है सुनवाई

हरिभूमि न्यूज ▸▸| दुर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के सभागार में विधिक ज्ञान और कलात्मकता का एक अनूठा संगम देखने को मिला। अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे गंभीर, प्रासंगिक और समसामयिक विषयों पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर ने किया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने कानून के तकनीकी पहलुओं को बहुत ही सरल अंदाज में प्रस्तुत किया। पल्लवी गुप्ता सहायक जिला अभियोजन ने अग्रिम विवेचना' की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक बेहतर विवेचना ही न्याय की नींव होती है। शिक्षा मेश्राम ने जमानत' के नवीनतम प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी दी। सौरभ शेन्द्रे (असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने वर्तमान डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की महत्ता, संग्रहण और न्यायालय में उनकी ग्राह्यता के बारे में जानकारी दी।

अलग खबर

आयोजित कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुख्य रूप से उपस्थित थे।

बदलते दौर में अपराधों की प्रकृति भी हो रही हाईटेक

इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बदलते दौर में अपराधों की प्रकृति हाईटेक हो गई है, ऐसे में अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बारीकियों को समझना अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में अग्रिम विवेचना, जमानत के सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इनके विधिसम्मत एवं संवेदनशील प्रयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने विवेचना को निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत ढंग से किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे अपराध के सही अनावरण के साथ-साथ निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। जमानत के संदर्भ में उन्होंने बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन के सिद्धांत का उल्लेख किया तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विधि के अनुरूप संग्रहण एवं प्रस्तुतीकरण को समय की आवश्यकता बताया।

रंगोली व पेंटिंग प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

कार्यशाला की गंभीरता के बीच रचनात्मकता के रंगों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा विषय वस्तु पर आधारित एक भव्य और संदेशपरक रंगोली तथा बैनर तैयार किया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह 'चित्रकला प्रदर्शनी' रही, जिसमें केन्द्रीय जेल दुर्ग के बंदियों और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के स्टॉफ द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया।

बंदियों ने अपनी पेंटिंग्स में उकेरी प्रतिभा,सम्मान

इन पेंटिंग्स के माध्यम से न केवल कला का प्रदर्शन हुआ, बल्कि बंदियों और विधिक कार्यकर्ताओं की छिपी हुई प्रतिभा और भावनाओं को भी एक मंच मिला। इस अवसर पर जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण और न्यायालयीन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर कानून से जुड़ी जानकारियों को विस्तार से बताया गया।

जिला न्यायालय परिसर में प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुभारंभ 01 दिसंबर 2025

दुर्ग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा राज्य भर में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और न्यायिक प्रशासन के उन्नयन हेतु किए जा रहे अनुकरणीय एवं दूरगामी प्रयासों से प्रेरित होकर जिला न्यायालय दुर्ग के कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। कर्मचारियों ने स्वप्रेरणा और सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना से ÷प्लास्टिक मुक्त न्यायालय परिसर÷ अभियान का शुभारंभ किया। अभियान न केवल परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह जिला न्यायालय दुर्ग की पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के हानिकारक उपयोग को समाप्त करना और न्यायालय परिसर को एक स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाना है। अभियान के दौरान न्यायालय परिसर में सभी अधिवक्ताओं, पक्षकारों, और कैंटीन संचालकों को विशेष रूप से प्लास्टिक के एक बार उपयोग (Single-Use Plastic) से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय खतरों के बारे में विस्तार से समझाया गया। सभी हितधारकों से प्लास्टिक के थैलों, कपों, पानी की बोतलों और पैकिंग सामग्री का उपयोग तत्काल बंद करने की भावनात्मक अपील की गई। उन्हें कपड़े के थैलों, स्टील या कांच के बर्तनों और अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। न्यायालय के कर्मचारियों ने परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और इस पहल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। कैंटीन संचालकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल बर्तनों के स्थान पर केवल बायोडिग्रेडेबल या पुनः प्रयोज्य सामग्री का ही उपयोग करें।

न्यायालय आने वालों को भी प्रेरित किया

भिलाई-3 न्यायालय के कर्मचारियों ने परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने चलाया अभियान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दुर्ग . छत्तीससगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा राज्य भर में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और न्यायिक प्रशासन के उन्नयन के लिए किए जा रहे दूरगामी प्रयासों से प्रेरित होकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्ग दर्शन में व्यवहार न्यायाधीश न्यायालय भिलाई -3 के कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरआत की है कर्मचारियों ने स्वप्रेरणा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से प्लास्टिक मुक्त न्यायालय परिसर अभियान का शुभारंभ किया ।

यह अभियान न केवल परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह व्यवहार न्यायालय भिलाई -3 की पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। इसका मुख्य उददेश्य प्लास्टिक के हानिकारक उपयोग को समाप्त करना और न्यायालय परिसर को एक स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ कार्य स्थल बनाना है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए

अभियान के दौरान न्यायालय परिसर में सभी अधिवक्तओं, पक्षकारों को विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय खतरों के बारे में विस्तार से समझाया गया। सभी हितधारको से प्लास्टिक के थैलों, कपों, पानी की बोतलों और पैकिंग सामग्री का उपयोग तत्काल बंद करने की भवनात्मक अपील की गई। उन्हे कपड़े के थैलों, स्टील या कांच के बर्तनों और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। न्यायालय के कर्मचारियों ने परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और इस पहल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। इस अभियान में न्यायिक कर्मचारी नोहर सिह देवांगन, विकास कुमार सोनी, खुशबू देवांगन, संजयधर दीवान, अशोक कुमार पटेल, हेमनंदनी सिन्हा, पूजा कन्नौजे, त्रिलोक साहू, रेणुका, रवि रंगारी, पुरुषोत्तमलाल सेन कैलाशपति पाण्डे, निशा रायजादा समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

जिला न्यायालय दुर्ग में ग्रीन दीपावली पर कार्यशाला

न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी मनाएंगे ग्रीन दीपावली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दुर्ग . उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं। इससेप्रेरित होकर गुरुवार को जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व पैरालीगल वॉलेंटियर्स के लिए 'ग्रीन दीपावली मनाएं-प्रदूषण मुक्त दीप जलाएं' विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने ग्रीन दीपावली मनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलन और 'ग्रीन दीपावली" के संकल्प के साथ हुआ। कार्यशाला में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थॉमस एक्का तथा जिला न्यायालय के उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी प्रशांत पाराशर द्वारा दीपावली में तेज आवाज वाले पटाखों तथा धुएं से होने वाले ध्वनि तथा वायु प्रदुषण से पशु, पक्षियों, बच्चों एवं वरिष्ठजनों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए ग्रीन दीपावली मनाए जाने प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि दीपावली के दौरान फोड़े जाने वाले पटाखों के धुएं से पीएम 2.5 (गंभीर वायु प्रदूषक) का स्तर दस गुना तक बढ़ जाता है। इस धुएं में सल्फर, जिंक, कॉपर, लेड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्सेनिक जैसे खतरनाक रसायन मौजूद रहते हैं, जो कि सांस लेते समय हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर कई बीमारियां फैलाते हैं।

परंपराओं और पर्यावरण के बीच संतुलन का ध्यान

कार्यशाला में ग्रीन दीपावली मनाने के व्यावहारिक उपाय बताए गए-जैसे कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग, ताजे फुलों से सजावट, प्राकृतिक रंगों से रंगोली सजाना, पौधरोपण तथा अपशिष्ट प्रबंधन। कहा गया कि हम सभी को अपनी परंपराओं और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। हमें आतिशबाजी से बचते हुए, मिट्टी के दीयों का उपयोग कर और पर्यावरण-संवेदनशील तरीकों से यह त्योहार मनाना चाहिए। अंत में सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे पारंपरिक उल्लास को कायम रखते हुए इस दीपावली को पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे और समाज में 'ग्रीन दीपावली" का संदेश फैलाएंगे। कार्यक्रम जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

With the **collective effort** District Court Durg has witnessed several innovative initiatives and progressive reforms during the last one year. Along with ensuring efficient and successful administration, the judicial work of Principal District Court has remained exemplary and inspiring, setting a **benchmark** for others to follow. Various administrative processes related to promotions, departmental inquiries, and service confirmations were also effectively streamlined during the year, resulting in timely and positive outcomes for several employees. Every member of the workforce from the courtrooms to the filing counters is aligned with the core mission of making the legal system accessible, empathetic, and responsive to the public's needs.

Over the course of the year, we have worked extensively across nearly every area with dedication and commitment. Moving forward as well, Principal District Court Durg remains committed to working with the same spirit, embracing new ideas, innovations, and progressive initiatives to further strengthen the justice delivery system.

With a collective vision of excellence, transparency, and institutional growth, District Court Durg shall continue striving towards a more efficient, accessible, and people-centric judicial system, ensuring that the values of justice, integrity, and service remain at the forefront of every initiative undertaken. By placing the values of service and integrity at the forefront of their daily operations, the team has created a roadmap for a contemporary and trustworthy judicial system.

"The transformation of the Durg District Court is not just a milestone; it is a reflection of what can be achieved when an entire team operates with a singular commitment to excellence and the pursuit of justice."

Thank You..